Vidhik Shiksha

A Legal Guide for a Common Man

अपने वकील खुद बनें

AUTHOR

Dr. Man Mohan Joshi (MJ Sir)

B.Sc., LL.M., MBA, Ph.D., Diploma in Cyber Law,
PG Diploma in Human Rights,
Legal Head, Kautilya Academy,
Founder & Chief Mentor, Vidhik Shiksha

अपने वकील खुद बनें

A Legal Guide for a Common Man

Copyright © 2024, Author

ISBN13: 978-81-971778-8-0

Published by INTEGRITY EDUCATION INDIA

New Delhi
First Floor, 4598/12-B, 1st Floor,
Padam Chand Marg, Daryaganj,
New Delhi, Delhi 110002
Phone: +91 98 11 66 62 16 (M)
Phone: +91 70 11 60 56 18 (M)

USA
New Jersey
14 Grandview Ave, Upper Saddle River,
NJ-07458, USA
Phone: +14805226504 (M)

Bengaluru
Jallahalli East
Bengaluru, Karnataka. India.
Phone: +91 98 11 66 62 16 (M)
Email: publisher.integrity@gmail.com

London
37 Degree Media
64, Hodder Drive, Perivale, London UB68LL.
United Kingdom.
Phone: +44 7950 78 18 17 (M)
Website: integrityeducation.co.in

© Author, 2024

The Publication rights are reserved and vested exclusively with Integrity Education. No part of this Publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in any retrieval system of any nature without the written permission of the copyright owner and the Publisher.

This book can be exported from India only by the Publisher. Infringement of this condition of sale will lead to civil and criminal prosecution.

The Publisher shall not be liable for any direct, consequential or incidental damages arising out of the use of this book.

In case of binding mistake, misprints or missing pages etc., the Publisher's entire liability and your exclusive remedy is replacement of this book within one month of purchase by similar edition/reprint of the book.

Due care and diligence have been taken while editing & printing this book. Neither the Author nor the Publisher of the book holds any responsibility for any mistake that may have inadvertently crept in.

Printed and bound in India

For any complaint the area of jurisdiction will be Indore (M.P.) only.

For any Query / Feedback
Phone: +91 98 11 66 62 16 (Vineet Sharma)

Printed in New Delhi, India @ Bhoomi Printing Solutions

लेखक की कलम से

एक लैटिन कहावत है ***'इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्ज़ेक्यूसट'*** अर्थात् कानून की अनभिज्ञता कभी भी माफी योग्य नहीं होती या जैसा कि अरस्तू ने कहा था ***'निमो सेंसेटुर इग्नोररे लेगेम'*** अर्थात् किसी को भी कानून से अनभिज्ञ नहीं माना जाता है मतलब ये मानकर चला जाता है कि देश के सभी नागरिकों को वहाँ के कानून का ज्ञान है। या एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है ***'इग्नोलियानिया आईयूरिस नोसेट'*** अर्थात् कानून को न जानना हानिकारक होता है।

एलएलबी करने के दौरान पहली बार मैंने जब विधि शास्त्र विषय के अंतर्गत उक्त सूक्तियाँ पढ़ीं तो मुझे ये लगा कि अगर कानून की जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है तो इन बातों को स्कूल सिलेबस में क्यों नहीं डाल दिया जाता। बहरहाल मैंने सोचा अंधकार को क्यों धिक्कारें अच्छा है एक दीप जलाएँ और फिर शुरू हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम जब जहाँ जिस परिस्थिति में था इस काम में लगा रहा।

वर्तमान समय में विधिक जागरूकता के जिस दीपक को प्रकाशित करने का प्रयास मेरे द्वारा वर्षों पहले किया गया था उसकी रोशनी चहूँ ओर फैल रही है। यूट्यूब हैंडल @ vikhikshiksha के लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों की संख्या में व्यूअर्स हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्यक्तिगत सेमिनार्स तथा संगोष्ठियों के माध्यम से भी यह कार्यक्रम अनवरत जारी रहा है। इस कड़ी में यह पुस्तक भी अब जुड़ जायेगी।

प्रस्तुत पुस्तक में मेरे द्वारा उन सभी कानूनी पहलुओं पर सम्यक् जानकारी देने का प्रयास किया है जिनसे आमजन का सामना आये दिन होता रहता है लेकिन विधिक ज्ञान का अभाव होने के कारण उन्हें विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

मेरे द्वारा इस बात का श्रमपूर्वक विशेष ध्यान रखा गया है कि सटीक जानकारी पाठकों तक पहुँचे इसके लिए विभिन्न कानूनविदों से समय-समय पर परामर्श किया गया है जिनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष कर श्री लक्ष्मीकान्त भार्गव सर (से.नि. न्यायाधीश) का हृदय से आभार व्यक्त करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ क्योंकि पुस्तक लेखन के दौरान जब जिस विषय पर संशय की स्थिति बनी या विशेषज्ञ राय की आवश्यकता महसूस हुई तब-तब अधिकारपूर्वक मैंने उनसे परामर्श लिया।

पुस्तक में दी गई जानकारी त्रुटि रहित हो इसके लिए भरसक प्रयास किए गए हैं, इसके बावजूद यह संभावना है कि पुस्तक में कुछ त्रुटि रह गई हो। कृपया नीचे दी गई मेल आईडी पर लिख कर हमें त्रुटियों से अवगत कराएं ताकि आने वाले संस्करणों में त्रुटि सुधार किया जा सके।

यह पुस्तक कानूनी जागरूकता के लिए लिखी गई है किसी भी तरह से वाद या कानूनी कार्यवाही के लिए सक्षम वकील से परामर्श करें।

अंत में आप सभी पाठकों के लिए कामना करता हूं कि आपको किसी भी तरह के कानूनी मामलों में न पड़ना पड़े और अगर आप ऐसे किसी मामले में उलझे हुए हैं तो उसका निपटारा जल्द ही आपके पक्ष में हो।

दिनांक :- 15 मार्च, 2024
विश्व उपभोक्ता दिवस

शुभकामनाओं सहित।

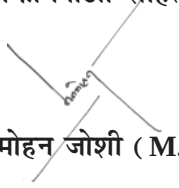

मनमोहन जोशी (M.J.)

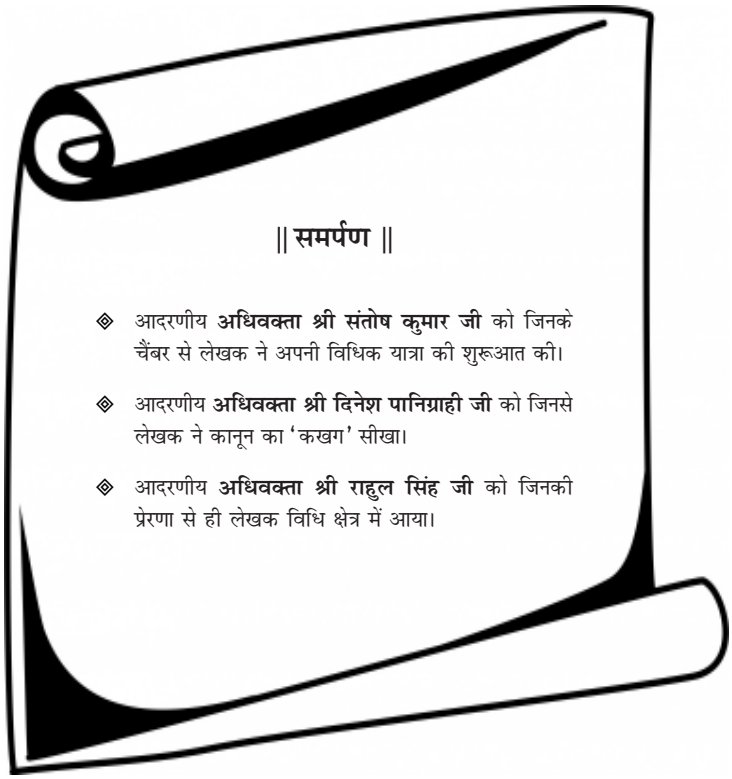

|| समर्पण ||

- आदरणीय **अधिवक्ता श्री संतोष कुमार जी** को जिनके चैंबर से लेखक ने अपनी विधिक यात्रा की शुरूआत की।
- आदरणीय **अधिवक्ता श्री दिनेश पानिग्राही जी** को जिनसे लेखक ने कानून का 'कखग' सीखा।
- आदरणीय **अधिवक्ता श्री राहुल सिंह जी** को जिनकी प्रेरणा से ही लेखक विधि क्षेत्र में आया।

विषय-सूची

1.	दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कलंदरा	1
2.	एफ.आई.आर. और एन.सी.आर.	5
3.	क्रॉस एफ.आई. आर. और जीरो एफ.आई.आर.	8
4.	एफिडेविट (शपथ-पत्र)	12
5.	पैतृक संपत्ति पर बेटियों का हक	14
6.	घरेलू हिंसा	16
7.	दहेज और कानून	19
8.	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-शोषण से सम्बन्धित कानून	23
9.	गिरफ्तारी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कानून	27
10.	यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम	30
11.	बाल विवाह से सम्बन्धित कानून	34
12.	चेक बाउंस से सम्बन्धित कानून	37
13.	विभिन्न प्रकार की जमानतें और आम आदमी के अधिकार	43
14.	पार्टनरशिप कानून	47
15.	वसीयत और उससे जुड़े कानूनी प्रावधान	50

16.	सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट और कानून	52
17.	उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019	55
18.	रियल स्टेट विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 (RERA)	59
19.	संपत्ति बंटवारे में पारिवारिक समझौते की मान्यता	61
20.	सहमति से तलाक	64
21.	जमानती बनने से संबंधित जरूरी कानूनी बातें	67
22.	किसी अपराध का आरोप और सरकारी नौकरी	69
23.	न्यायालय की अवमानना	71
24.	पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्ति को कोर्ट से कैसे छुड़ाएं	74
25.	कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश करना	76
26.	आरोपी का अपने ही मामले में गवाह होना	78
27.	धन वसूली के लिए सिविल वाद	81
28.	सम्पत्ति से जबरन निकाले जाने पर कौन सा सिविल कानून इस्तेमाल करें?	83
29.	बेनामी संपत्ति कानून	85
30.	निर्धन व्यक्ति कैसे कर सकते हैं सिविल केस?	87
31.	इनकम टैक्स रिटर्न खुद कैसे फाइल करें?	89

32.	भारत में एंप्लॉयमेंट बॉन्ड की कानूनी वैधता	92
33.	उत्तराधिकार प्रमाणपत्र	96
34.	थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और इसकी आवश्यकता	99
35.	बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत कैसे करें	101
36.	घर बैठे कैसे जानें अपने कोर्ट केस का स्टेटस	104
37.	मानहानि कानून	106
38.	चिकित्सा में लापरवाही और आपके अधिकार	108
39.	स्टार्टअप रजिस्टर करवाने की प्रक्रिया	111
40.	पैतृक संपत्ति में कैसे मिलेगा अधिकार?	114
41.	FIR से सम्बन्धित कानूनी प्रक्रिया	117
42.	प्रेम विवाह के पंजीकरण की प्रक्रिया	119
43.	नि:शुल्क विधिक सहायता	122
44.	तलाक से सम्बन्धित कानून	124
45.	समलैंगिक विवाह	127
46.	धारा 9 : हिन्दू विवाह अधिनियम में केस करने के फायदे या नुकसान	129
47.	गिरफ्तारी वारण्ट निरस्त करवाने के कानूनी पैंतरे	131
48.	अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी?	133
49.	कैसे दर्ज करवाएं ऑन लाइन एफ.आई.आर.?	136

50.	अच्छा अधिवक्ता कैसे चुनें?	138
51.	चार्जशीट के समय आरोपी की गिरफ्तारी और उसके अधिकार	140
52.	क्या करें, यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे?	142
53.	नाराजी याचिका (Protest Petition)	145
54.	जब पुलिस थाने में हाजिरी के लिए नोटिस मिले तो क्या करें?	148
55.	पुलिस को दिए गए बयान का महत्व	150
56.	पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी	152
57.	वारण्ट के बिना गिरफ्तारी	154
58.	गिरफ्तारी के पहले जमानत (Anticipatory Bail)	156
59.	चूक जमानत [Default Bail]	158
60.	ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल [Transit Anticipatory Bail]	160
61.	जानें GST कानून के बारे में	162
62.	मुख्तारनामा (Power of Attorny)	167
63.	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण	169
64.	एनडीपीएस (NDPS)	172

65.	झूठी गवाही या झूठा एफिडेविट	175
66.	सिविल मौत क्या होती है?	177
67.	सरकार या उसके अधिकारी के विरुद्ध केस फाइल करना	179
68.	गरीब व्यक्ति कैसे सिविल केस कर सकता है? [SUITS BY INDIGENT PERSONS]	181
69.	पक्षकार की मृत्यु पर उसके वारिसों को पक्षकार बनाना	183
70.	मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों में मुआवजा	186
71.	आरटीआई (RTI)	189
72.	सिविल मामलों में अपील दायर करने की प्रक्रिया	192
73.	भारतीय नागरिकता पाने की प्रक्रिया	195
74.	पासपोर्ट रिन्यू कैसे करवायें?	198
75.	बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया	200
76.	एनपीएस खाते के तहत पेंशन के लिए आवेदन	202
77.	किरायेदार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे करें?	205
78.	नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया	208
79.	सीएए कानून क्या है?	211
80.	वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)	214
81.	महत्वपूर्ण कानून जिन्हें हर किसी को जानना चाहिए	217

1

दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कलंदरा

पुलिस व कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समाज में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा समाज की शांति को भंग करने की कोशिश की जाती है तो उसे उस कार्य को करने से रोकने के लिए पुलिस के द्वारा एक कलंदरा काटा जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग करता है या दो पड़ोसियों में किसी बात पर कोई कहासुनी होती है तो अक्सर पुलिस द्वारा कलंदरा काटा जाता है। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126) और धारा 151 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 170) के तहत दिया जाने वाला नोटिस होता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126
(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107)

1. अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है या सार्वजनिक शांति को नुकसान पहुंचा सकता है और उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करता है कि उसे एक साल तक की किसी भी अवधि के लिए, जैसा कि मजिस्ट्रेट को ठीक लगे, शांति बनाए रखने के लिए बन्ध-पत्र निष्पादन करने का आदेश क्यों न दिया जाए।

2. यह मुकदमा उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष चलता है, जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी अशांति होने की आशंका होती है या फिर जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी अशांति फैलाने वाला व्यक्ति मौजूद है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 169 (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 150)

प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध किए जाने की आशंका की जानकारी प्राप्त होती है तो वह ऐसी जानकारी को उस अधिकारी को देगा, जिसके वह अधीनस्थ है या किसी ऐसे अधिकारी को देगा, जो ऐसे अपराध का निवारण कर सकता है या संज्ञान ले सकता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 170 (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151)

1. पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी असंज्ञेय अपराध (Non Cognizable Offence) में बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन पुलिस को संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) में बिना किसी वारंट के सीधे गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त होती है।
2. उक्त धारा के अंतर्गत पुलिस को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, भले ही उसने कोई अपराध नहीं किया हो। अगर पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह व्यक्ति कोई न कोई संज्ञेय अपराध जरूर कर देगा।
3. इस धारा के तहत गिरफ्तार हुए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में नही रखा जा सकता। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 170 के अंतर्गत गिरफ्तार करती है, तब उसे आमतौर पर SDM की कोर्ट में पेश करती है।

दो प्रकार के कलंदरे होते हैं :-

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126/169 (धारा 107/150 दण्ड प्रक्रिया संहिता) :- इसमें आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता तथा उसे नोटिस भेजकर कोर्ट बुलाया जाता है, जहां केस चलता है।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126/170 (धारा 107/151 दण्ड प्रक्रिया संहिता) :- इसमें आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां केस चलता है।

कहां चलते हैं ये केस?

1. ये केस एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष चलते हैं, न कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष। सामान्य तौर पर देखें तो ये केस एसडीएम कोर्ट में ही चलते हैं।
2. दिल्ली में ये मुकदमे Special Executive Magistrate के यहां चलते हैं, जो संबंधित क्षेत्र के ACP होते हैं।

जमानत कैसे मिलती है?

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126/169 (धारा 107/150 दण्ड प्रक्रिया संहिता) में व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन नोटिस में दी गई तारीख व समय पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी पड़ती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126/170 (धारा 107/151 दण्ड प्रक्रिया संहिता) में व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसको जमानत लेनी पड़ती है।
2. कलंदरे के तहत कोर्ट द्वारा पेश होने के जो नोटिस जारी किए जाते हैं, उसमें जमानत राशि लिखी हुई होती है या गिरफ्तार करके जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता हैं, तब भी जमानत राशि बताई जाती है।
3. ध्यान दें कि इसका मतलब यह बिल्कुल नही है कि आपको जमानत राशि कोर्ट में जमा करनी है। इसका मतलब बस इतना है कि गिरफ्तार व्यक्ति को बतायी गई राशि का एक पर्सनल बॉण्ड भरना होता है और साथ ही जमानत के लिए कोर्ट में एक जमानतदार पेश करना होता है। जमानतदार को भी एक बॉण्ड भरना होता है और जमानत राशि के बराबर या उससे अधिक मूल्य की कोई प्रतिभूति जमा करनी होती है।

इसके लिए अक्सर जमानतदार अपने किसी वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र या किसी प्रॉपर्टी के दस्तावेज या अपनी कोई FD जमा कर सकता है। जमानतदार को अपने साथ अपना पासपोर्ट साइज का फोटो और एक पहचान पत्र (जैसे कि आधार कार्ड या वोटर कार्ड) लेकर जाना होता है।

समय सीमा

ये मामले आमतौर पर 6 महीने के लिए चलते हैं, जिसके बाद बॉन्ड लेकर ये केस बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान आरोपी व्यक्ति को कुछ बार तारीख पर पेश होना होता है। वैसे कानून के हिसाब से कोर्ट इन मामलों को अपने पास अधिकतम एक साल के लिए रख सकता है। हमने आमतौर पर कभी नहीं देखा कि इन मुकदमों में कभी किसी को सजा दी गई हो।

सरकारी नौकरी पर असर

1. लोगों में यह काफी भ्रम है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126/169/170 (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/150/151) का कलंदरा दर्ज होने के बाद उनकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। लोगों में यह भी भ्रम है कि ऐसा कलंदरा दर्ज होने के बाद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं।
2. यह कलंदरा अपने आप में कोई अपराध नहीं है, बल्कि अपराध को रोकने की पूर्व प्रक्रिया है। ये बॉन्ड किसी भी अपराध को रोकने के लिए भरवाए जाते हैं, न कि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने के बाद।

इसलिए इस प्रकार के कलंदरों का सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं होता जब तक कि कोई FIR दर्ज न हो जाए। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त भी ऐसे कलंदरों का रिकॉर्ड देना जरूरी नहीं होता, जब तक कि विशेष तौर पर न पूछा जाए।

* * * * *